न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

223RTA2024-058(GCMS2024-163)

1. संजूदेवी पत्नी श्रेणीक कुमार
   निवासी बी-1, उम्मेद क्लब,
   जोधपुर
2. लाडेश कुमार पुत्र सोहनराज साद
   निवासी 11 पदमावती नगर, जालम विलास,
   पावटा बी रोड, जोधपुर

अपीलाण्ड्स ...

ब

ना

म

1. प्रेमराज आसेरी पुत्र भंवरलाल जीनगर
   निवासी कमला नेहरू नगर,
   जोधपुर
2. राजस्थान सरकार
   जरिये तहसीलदार बालेसर
   जिला जोधपुर
3. उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, बालेसर

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर बालेसर दिनांक 08 अप्रेल 2024 प्रकरण संख्या 147/2023 (जीसीएमएस पोर्टल संख्या 2023/260) अनवान प्रेमराज बनाम पुष्पादेवी आदि

उपस्थित-

श्री पूर्णसिंह राठौड, अधिवक्ता-अपीलाण्ड्स
श्री जितेन्द्र सिंह, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 1
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता

नि र्ण य

दिनांक : 18 अक्टूबर 2024

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर बालेसर द्वारा प्रकरण संख्या 147/2023 (जीसीएमएस पोर्टल संख्या 2023/260) अनवान प्रेमराज बनाम पुष्पादेवी व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 08 अप्रेल 2024 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 02 मई 2024 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थी-रेस्पो. संख्या एक ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251ए के तहत एक प्रार्थनापत्र पेश कर अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 164 रकबा 1.7240 हैक्टेयर बारानी प्रथम वाके ग्राम तोलेसर चारणा पटवार क्षेत्र कोनरी तहसील बालेसर तक आवागमन हेतु पडौस के खसरा संख्या 165 की भूमि में से 30 फीट चौडा कटाणी रास्ता घोषित किये जाने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र जरिये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08 अप्रेल 2024 को स्वीकार कर लिया गया, जिसके खिलाफ आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने जाहिर किया कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थी-रेस्पो. की ओर से प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किये जाने के पूर्व ही अप्रार्थीनी पुष्पादेवी (अपीलाण्ट संख्या 2 की माता) का दिनांक 07 दिसम्बर 2020 को देहान्त हो चुका था, जिसकी पुष्टि अपील स्तर पर प्रस्तुत मृत्यु प्रमाणपत्र की प्रति से भी होती है। मगर विचारण न्यायालय में प्रार्थी-रेस्पो. संख्या एक द्वारा उक्त मृतक को पक्षकार संयोजित कर विचारण न्यायालय को अंधेरे में रखते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित करवाया गया है। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने यह भी जाहिर किया कि प्रार्थी-रेस्पो. संख्या एक द्वारा संबंधित पटवारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

हळका व भू-अभिलेख निरीक्षक से जातीय आधार पर सांठगांठ कर गलत व वास्तविक स्थिति से भिन्न मौका रिपोर्ट अप्रार्थीगण की अनुपस्थिति में तैयार करायी जाकर विचारण न्यायालय में पेश करवायी गयी है। मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शे में खसरा संख्या 164 के उत्तर दिशा में खसरा संख्या 163 स्थित है जिसके आगे खसरा संख्या 162, (जो राजस्व रिकार्ड में गैरमुमकिन नाडी दर्ज है किन्तु मौके पर वर्तमान में नाडी का कोई अस्तित्व ही नहीं होकर पक्की सडक बनी हुई है) आयी हुई है, जिसका सम्पूर्ण रकबा हाइवे में समाहित हो चुका है। प्रार्थी-रेस्पो. संख्या एक द्वारा खसरा संख्या 163 से होकर ही आवागमन किया जाता रहा है। उक्त रास्ता बहुत ही सुलभ है। मगर विचारण न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर कोई विचार नहीं किया गया। मौका रिपोर्ट दिनांक 25 जनवरी 2024 में अप्रार्थीगण नोटिस तामील के उपरान्त भी मौके पर उपस्थित नही होना अंकित किया गया है, जबकि अप्रार्थी पुष्पादेवी का देहान्त सन् 2020 में ही हो गया था। अंत में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने अपील स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. ने अपीलाधीन निर्णय का समर्थन किया और कथन किया कि विचारण न्यायालय में बावजूद तामील अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहे, अतः उनके खिलाफ नियमानुसार इकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। विचारण न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अनुसार भी मौके पर प्रार्थी-रेस्पो. की खातेदारी भूमि तक आवागमन का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पारित किया गया है। अपील अपीलाण्ट्स सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया और उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अपील स्तर पर प्रस्तुत मृत्यु प्रमाणपत्र की प्रति के अवलोकन से प्रकट होता है कि अप्रार्थीनी पुष्पादेवी का दिनांक 07 दिसम्बर 2020 को देहान्त हो चुका था। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थी-रेस्पो. की ओर से पुष्पादेवी को आराजी खसरा संख्या 165 के ½ हिस्से की सहखातेदार दर्शाते हुए बतौर अप्रार्थी संख्या एक पक्षकार संयोजित किया जाकर दिनांक 08 दिसम्बर 2023 को प्रस्तुत प्रार्थनापत्र बाबत कार्यवाही करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय उसके विधिक वारिसान को पक्षकार संयोजित किये बिना एक मृतक पक्षकार के खिलाफ पारित निर्णय होने के कारण बहाल रखे जाने योग्य नहीं पाया जाता है।

अतः प्रस्तुत अपील अपीलाण्ट्स आंशिक तौर पर स्वीकार की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 02 मई 2024 अपास्त किया जाता है और प्रकरण इस निर्देश के साथ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मृतक पक्षकार के विधिक वारिसान को प्रकरण में पक्षकार संयोजित किये जाने की कार्यवाही करते हुए तथा नये सिरे से पुनः मौका रिपोर्ट तलब की जावे और उभयपक्षकारान को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर न्यायोचित निर्णय पारित किया जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर